


प्रेस विज्ञप्ति


सचिव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के परिपत्र संख्या-130/सचिव/अधि0/2020 दिनांक 20-03-2020 के अनुक्रम में सर्व संबंधित से अपील की जाती है कि दिनांक 12 मार्च, 2020 के बाद जो भी व्यक्ति विदेश से जनपद कानपुर नगर में आये हैं, वे इसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय के आपात कक्ष के दूरभाष संख्या-0512-2304777 व 2377888 अथवा केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम के दूरभाष संख्या-18001805259 पर उपलब्ध करा दें। यदि विदेश से आए व्यक्ति द्वारा अपनी सूचना नहीं दी जाती है और इसके बाद उनमें कोरोना रोग के लक्षण पाए जाते हैं या अन्य व्यक्ति संक्रमण के शिकार होते हैं, तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी।


(डा० ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

संख्या 3505 /कैम्प सहायक/जि०अ०-कैम्प/2020 दिनांक : 31-03-2020

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं कराने हेतु प्रेषित :-

- 1-आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2-डी०आई०जी०/एस०एस०पी० कानपुर नगर।
- 3-अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) कानपुर नगर।
- 4-मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर।
- 5-अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)/नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, कानपुर नगर।
- 6-नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
- 7-कन्ट्रोल रूम, कानपुर नगर को सूचना प्रसारित करने हेतु।
- 8-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, कानपुर नगर।


(डा० ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।



कार्यालय
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लोक भवन, लखनऊ

संख्या/संख्यापुस्त/139/(सवि)/संशोध/अदि/2020

दिनांक 30/03/2020

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

उच्च स्तर से यह अवगत कराने की अपेक्षा की गई है कि समस्त जिलाधिकारी अपने स्तर से समाचार पत्रों में यह सूचना प्रकाशित करा दें कि दिनांक 12 मार्च, 2020 के बाद जो भी व्यक्ति विदेश से आए हैं, वे इसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय में नियत दूरभाष पर उपलब्ध करा दें तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि विदेश से आए व्यक्ति द्वारा अपनी सूचना नहीं दी जाती है और इसके बाद उनमें कोरोना रोग के लक्षण पाए जाते हैं या अन्य व्यक्ति संक्रमण के शिकार होते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्व में भी अपेक्षा की गई थी। यदि कतिपय जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना अभी तक नहीं प्राप्त की गई है तो अगले 24 घण्टे में इसकी सूचना प्राप्त कर ली जाएगी।

All DMs, Kanpur Div.
JDC/AD, Health

DMs

(immediate)

30.03.2020

(आर० सुधीर कुमार बोस)

आयुक्त

कानपुर मण्डल
30.03.2020

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश, को इस आशय से प्रेषित की कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

30.03.2020

(आलोक कुमार)
सचिव, मुख्यमंत्री
उ० प्र० शासन



कार्यालय
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लोक भवन, लखनऊ

संख्या मण्डलानुस/ 139 / (पाने) / संदिता 3 / धरि 0 / 2020

दिनांक 30/03/2020

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

उच्च स्तर से यह अवगत कराने की अपेक्षा की गई है कि समस्त जिलाधिकारी अपने स्तर से समाचार पत्रों में यह सूचना प्रकाशित करा दें कि दिनांक 12 मार्च, 2020 के बाद जो भी व्यक्ति विदेश से आए हैं, वे इसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय में नियत दूरभाष पर उपलब्ध करा दें तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि विदेश से आए व्यक्ति द्वारा अपनी सूचना नहीं दी जाती है और इसके बाद उनमें कोरोना रोग के लक्षण पाए जाते हैं या अन्य व्यक्ति संक्रमण के शिकार होते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्व में भी अपेक्षा की गई थी। यदि कतिपय जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना अभी तक नहीं प्राप्त की गई है तो अगले 24 घण्टे में इसकी सूचना प्राप्त कर ली जाए।

All DMs, Kanpur Div-
JDC/AD, Health

DM, (Immediate)
4/838/DICS

30/03.2020

(डा० सुधीर रंजन बोस)

आवृत्त
कानपुर भवन।
30.03.2020

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश, को इस आशय से प्रेषित की कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

30.03.2020

(आलोक कुमार)
सचिव, मुख्यमंत्री
उ० प्र० शासन